संख्या-25/2019/357/26-3-2019

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 25 जनवरी 2019

विषयः-आगामी कुम्भ मेले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद-प्रयागराज (इलाहाबाद) में 05 प्रीमियम कोर्टेज आरक्षित किये जाने एवं प्रदर्शनी लगाये जाने हेतु धनराशि की व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1258-59/स0क0/नजारत/स्टोर/कु0मे0-18-19/2018-19, दिनांक-09.01.2019 एवं पत्र संख्या-1376-77/स0क0/नजारत/स्टोर/कु0मे0-18-19/2018-19, दिनांक-24.01.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आगामी कुम्भ मेले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जनपद-प्रयागराज (इलाहाबाद) में 05 प्रीमियम कोर्टेज आरक्षित किये जाने एवं प्रदर्शनी लगाये जाने हेतु रू0-20.00 लाख (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की अनुमति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-"2235-02-200-12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गेर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि, जिसकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, समाज कल्याण के निवर्तन पर रखी जा चुकी है, से इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि शासनादेश संख्या-113/2018/1060/26-3-2018-10(28)/1999,दिनांक-09.04.2018 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-25/2019/357/26-3-2019-तद्दिनांक-:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय सिविल आडिट, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।